बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक :– 22/01/19

सं० सं०–17/ए 3–01/2019– 41(17) /स्वा०, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में ट्यूटर के टेन्योर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के **माइक्रोबायोलॉजी विभाग** में निम्न प्रकार से नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है :–

माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग				
बि0स्वा0से0				
क्र0 स0	**नाम**	**आवेदन संख्या**	**आरक्षण कोटि**	**पदस्थापन**
1	महादेव मंडल	CR201800216	अनारक्षित (अ0पि0व0)	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा
2	अभिमन्यु कुमार सिंह	CR201800046	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
3	चन्द्रशेखर चौधरी	CR201800499	अनारक्षित (अ0जा0)	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
4	डॉ0 चन्दन कुमार	CR201800575	पिछड़ा वर्ग	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
5	डॉ0 दीपक कुमार, पिन्टू	CR201800208	अनारक्षित (अ0पि0व0)	राजकीय चिकित्सामहाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया।
पी0जी0एस0				
1	कल्याणी कला	CR201800031	अनारक्षित	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
2	सोनाली	CR201800805	अनारक्षित	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
3	डॉ0 शिरीन शैलजा	CR201800097	अनारक्षित (पि0व0म0)	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
4	डॉ0 श्वेता गुप्ता	CR201800149	अनारक्षित (अ0पि0व0)	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
5	निशांत उपाध्याय	CR201800415	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
6	नंदलाल कुमार	CR201800416	अनुसूचित जाति	राजकीय चिकित्सामहाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया।
7	प्रभात कुमार रंजन	CR201800577	अनुसूचित जाति	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा

पी0जी0ओ0				
1	निशा सिंह	CR201800620	अनारक्षित	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
2	मो० तबरेज करीम	CR201800864	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय।
3	मुकेश कुमार	CR201800542	अनारक्षित (पि0व0)	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
4	नेहा झा	CR201800165	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय।
5	डॉ० दीप्ति किरण	CR201800621	अनारक्षित (पि0व0म0)	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया
6	अभिषेक कुमार	CR201800904	अनारक्षित	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया
7	अल्फिया अलीम	CR201800296	अनारक्षित	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी
8	मनीष कुमार सिन्हा	CR201800876	अनारक्षित (पि0व0)	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

3. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।

4. बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान लेवेल–9 अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।

5. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे अपने पैतृक संवर्ग में स्वतः वापस हो जायेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।

6. सभी नवनियुक्त ट्यूटर को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर **अधिकतम् 15 दिनों के अंदर** अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र यथा क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र/मूल शपथ–पत्र/मूल विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य को समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. योगदान के समय संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य नवनियुक्त ट्यूटर द्वारा समर्पित वांछित प्रमाण–पत्र यथा क्रिमिलेयर प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र को जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।

8. नये ट्यूटर के पदस्थापन के उपरान्त योगदान के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य सबसे पुराने पदस्थापित ट्यूटर को आवश्यकतानुसार कार्य मुक्त कर देंगे। यदि किसी पुराने ट्यूटर के

मामले में न्यायिक वाद चल रहा हो तो उस स्थिति में प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा विभाग से परामर्श प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कौशल किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 17/ए 3–01/2019– 41(17) पटना, दिनांक :– 22/01/19

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल/मगध प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/दरभंगा प्रमंडल/भागलपुर प्रमंडल/कोशी प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/दरभंगा/गया/मुजफ्फरपुर/नालंदा/ भागलपुर/पश्चिमी चंपारण/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, (कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा 01,02,08 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।